संख्या–1795 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, बागपत, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ तथा मेरठ।

2. **मुख्य चिकित्साधिकारी**
कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, बागपत, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ तथा मेरठ।

चिकित्सा अनुभाग –5 **लखनऊ, दिनांक: 02 सितंबर 2020।**

विषय : उत्तर प्रदेश में कोविड–2019 के प्रसार के दृष्टिगत जनसामान्य में प्रतिरोधक क्षमता के आकलन हेतु सीरो–सर्विलान्स किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1693 / पाँच–5–2020, दिनांक 20.08.2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि प्रश्नगत सीरो–सर्विलान्स गतिविधियों हेतु निम्नलिखित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित किया गया है:–

जनपद स्तर पर सीरो–सर्विलान्स गतिविधि हेतु स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

1. **सीरो–सर्विलान्स गतिविधि का उद्देश्य :–** जनपद के समस्त 45 चयनित क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में रेंडम 32 व्यक्तियों का रक्त संग्रह कर इस रक्त से सीरम तैयार कर कोविड–19, हिपेटाइटिस–बी तथा हिपेटाइटिस–सी रोगों की ELISA परीक्षण द्वारा एंटीबॉडी जांच कराना जिससे जनपद में इन रोगों के संक्रमण की स्थिति का आंकलन किया जा सके।
2. **गतिविधि हेतु क्षेत्र का चयन :–** इस गतिविधि हेतु प्रत्येक जनपद की शहरी एवं ग्रामीण आबादी के अनुसार क्षेत्रों का चयन कर सूची जनपदों को प्रेषित की जा चुकी है, सूची में अंकित क्षेत्रों से ही रक्त संग्रह का कार्य किया जाएगा ।
3. **सैंपल कलेक्शन हेतु स्थान का चयन :–** निम्न में से एक स्थान को रक्त संग्रह हेतु चयनित कर सभी आवश्यक स्थलीय व्यवस्थाएं (रक्त संग्रह कक्ष का चिन्हीकरण, मेज, कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था) उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए रक्त संग्रह गतिविधि से एक दिन पूर्व कर ली जानी चाहिए –
   I. स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग उपलब्ध होने पर इस बिल्डिंग में रक्त संग्रह किया जाना चाहिए।
   II. उपरोक्त के उपलब्ध न होने यदि स्थानीय स्वास्थ्य उप–केंद्र सरकारी भवन में स्थित है तो इस भवन में रक्त संग्रह किया जाना चाहिए।
   III. इनमें से कोई भी भवन क्षेत्र में ना होने की स्थिति में सरकारी विद्यालय अथवा आंगनवाड़ी केंद्र का प्रयोग रक्त संग्रह हेतु किया जाना चाहिए।
   IV. उपरोक्त में से कोई भी भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में पहले से ही स्थानीय जनप्रतिनिधि (ग्राम प्रधान अथवा नगरीय निकाय पार्षद) से वार्ता कर उचित स्थान का चयन कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं गतिविधि से एक दिन पूर्व कर ली जानी चाहिए ।

4. **सीरो–सर्विलान्स गतिविधि हेतु टीम का स्वरुप एवं सदस्यों की गतिविधयों का विभाजनः–** प्रत्येक जनपद में इस गतिविधि हेतु न्यूनतम दस टीमों का गठन किया जायेगा। प्रत्येक जनपदीय टीम में 4 सदस्य होंगे :–

    I. **चिकित्सा अधिकारीः–**क्षेत्र के विभाजन, परिवारों के चयन तथा संपूर्ण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग का कार्य संपादित करेंगे।

    II. **प्रयोगशाला प्राविधिक (लैब टेक्नीशियन)/स्टाफ नर्सः–**रक्त संग्रह, लेबलिंग तथा संग्रहित रक्त को कोल्ड बॉक्स में सुरक्षित रखने का कार्य करेंगे।

    III. **ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट/स्वास्थ्य निरीक्षक/स्टाफ नर्सः–** अभिलेखीकरण का कार्य करेंगे, यथा रक्त संग्रह फॉर्म भरना तथा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराना। साथ ही रक्त संग्रह के उद्देश्य के विषय में भी संबंधित परिवारों को अवगत कराएंगे ।

    IV. **ऐ0एन0एम0/आशा कार्यकर्ता** : मोबिलाइजर का कार्य करेंगे तथा चयनित परिवारों के चयनित व्यक्तियों को रक्त संग्रह स्थल तक लेकर आएंगी।

गतिविधि हेतु चयनित सभी सदस्य अनिवार्य रूप से राज्य स्तर से सम्पादित कराए गए प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।

5. **गतिविधि हेतु परिवारों का चयन** : प्रत्येक सीरो–सर्विलांस दल में तैनात चिकित्सा अधिकारी सर्वप्रथम चयनित क्षेत्र को चार भागों में विभक्त करेंगे, तदोपरांत इन चार भागों में से प्रत्येक भाग में रैंडमली एक मकान से शुरू करते हुए निरंतर 8 मकानों में से प्रत्येक से 18 वर्ष से अधिक आयु के एक व्यक्ति का से रक्त के नमूने एकत्र किये जाएंगे। अंतिम दो परिवारों में से प्रत्येक से 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच के एक व्यक्ति का सैंपल लिया जायेगा। इस हेतु बच्चे को उसके अभिभावक के साथ सैंपल कलेक्शन स्थल पर ले जाना होगा। प्रत्येक परिवार से रक्त का नमूना लिखित सहमति के उपरांत एकत्र किया जाएगा। किसी परिवार से लिखित सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अगले परिवार से नमूना एकत्र किया जायेगा।
    यही प्रक्रिया क्षेत्र के शेष तीन भागों में भी अपनाते हुए प्रत्येक भाग से 8 अर्थात पूरे क्षेत्र से कुल 32 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। सैंपल लेते समय यथा संभव पुरुष एवं महिलाओं के सैंपल की कुल संख्या बराबर रखी जाये, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र से 16 पुरुषों एवं 16 महिलाओं के सैंपल एकत्र किया जाएँ।

6. **संग्रह किये जाने वाले नमूने :**

    I. कोविड एंटीजन टेस्ट हेतु नेजल एवं ओरो फैरिन्जियल स्वाब

    II. एंटीबाडी टेस्ट हेतु 5 ml वीनस ब्लड

7. **जनपद स्तर पर गठित टीमों द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियां :**

    I. क्षेत्र को चार भागों में विभक्त करना

    II. प्रत्येक भाग से 8 परिवारों का चयन करना

    III. चयनित परिवारों को सीरो–सर्विलेंस गतिविधि के उद्देश्य के विषय में सूचित करना

    IV. चयनित परिवारों से पात्र व्यक्ति का चयन करना

    V. पात्र व्यक्ति को रक्त संग्रह स्थल तक लेकर आना

    VI. रक्त संग्रह स्थल पर पात्र व्यक्ति को सहमति पत्र को समझाते हुए इस पत्र पर पात्र व्यक्ति के हस्ताक्षर कराना

    VII. पात्र व्यक्ति का रक्त संग्रह से संबंधित अभिलेखीकरण (ब्लड कलेक्शन फॉर्म) पूर्ण करना

– 3 –

VIII. पूर्ण एसेप्टिक प्रक्रिया का पालन करते हुए रक्त संग्रह करना

IX. संग्रहित रक्त को कोल्ड बॉक्स में सुरक्षित तरीके से रखना

X. रक्त संग्रह में प्रयोग किए गए सिरिंज, नीडल, कॉटन इत्यादि का सुरक्षित निस्तारण (सिरिंज एवं नीडल को पंक्चर प्रूफ बॉक्स में रखना तथा कॉटन प्लास्टिक रेपर इत्यादि को यलो वेस्ट पॉलीथिन में रखना)

XI. सभी संग्रहित रक्त के नमूनों तथा वेस्ट मैटीरियल का सुरक्षित तरीके से जनपद पर परिवहन

XII. वेस्ट मैटीरियल को सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रेषित करना

XIII. प्रतिदिन सभी संग्रहित रक्त के नमूनों को जनपद स्तरीय प्रयोगशाला में लाकर सीरम तैयार कर कोल्ड चेन में रखना

XIV. गतिविधि के अंतिम दिवस पर सभी संग्रहित नमूनों को जांच हेतु केजीएमयू डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी केजीएमयू को प्रेषित करना

नोट : जाँच हेतु चयनित प्रत्येक व्यक्ति के नेजल तथा ओरोफैरिंजीयल स्वाब कोविड रोग की एंटीजन जांच हेतु एकत्र किए जाएंगे जिनके परिणाम से प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराया जाएगा। सीरम के नमूनों को एंटीबॉडी जांच हेतु डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी केजीएमयू लखनऊ प्रेषित किया जाएगा।

8. **सीरो–सर्विलेंस हेतु पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग :**

I. प्रयोगशाला प्राविधिक : सम्पूर्ण पी0पी0ई0 किट जिसमें पूर्ण बॉडी कवर, NA95 मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स सम्मिलित होंगे ।

II. कार्य दल के अन्य 3 सदस्य : ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करेंगे ।

सभी सदस्य पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करेंगे ।

9. **गतिविधि हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था :** प्रत्येक दल को अन्य आवश्यक सामग्री के साथ पर्याप्त संख्या में PPE किट, NA95 मास्क, ट्रिपल लेयर्ड मास्क, हैण्ड सेनिटायिजर उपलब्ध कराने तथा दल हेतु वाहन की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा।

रक्त संग्रह, भण्डारण तथा परिवहन हेतु आवश्यक सामग्रीः

उपकरण	कन्ज्यूमेबल	अभिलेखन सामग्री
आइसबॉक्स/वैक्सीन कैरियर में गीला बर्फ, टूर्निकेट, प्राथमिक चिकित्सा किट, सुई निस्तारण हेतु पंक्चर प्रूफ बाक्स, यलो वेस्ट पॉलीथिन	मास्क दस्ताने, एप्रन, पीपीई किट5 मिली सीरिंज सुई, विसंक्रमित रूई, नमूना संग्रह हेतु शीशियॉ/वेक्यूटेनर्स, लेबल,स्पिरिट/70 प्रतिशत आइसोप्रोपाइल एल्कोहोल स्वाव मार्कर पेन और टिशू पेपर	क्लिनिकल डेटा शीट सहमति प्रपत्र

10. **समय सीमा** : प्रत्येक दल प्रतिदिन एक क्षेत्र से नमूनों का संग्रहण करेगा। इस प्रकार दस दलों द्वारा प्रतिदिन कुल दस क्षेत्रों से नमूनों का संग्रहण किया जायेगा । दिनाँक 04 सितम्बर को रक्त संग्रह का कार्य प्रारंभ करते हुये प्रत्येक दशा में दिनाँक 08 सितम्बर तक नमूनों के संग्रहण का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जायेगा।

11. **वित्तीय प्रावधान :**

11.1 **रक्त संग्रहण टीमों हेतु मोबिलिटी की व्यवस्था** : इस हेतु एन एच एम द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर उपलब्ध कराये गए कोविड बजट के मोबिलिटी हेड (FMR 31.5) का बजट का प्रयोग किया जाएगा।

11.2 **लोजिस्टिक्स की व्यवस्था** : इस पत्र के बिंदु संख्या 9 में अंकित टीम्स तथा रक्त संग्रहण हेतु आवश्यक समस्त सामग्री को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा। लोजिस्टिक्स तथा के0जी0एम0यू0, लखनऊ सैंपल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हेतु एन0एच0एम0 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर उपलब्ध कराये गए कोविड बजट के डायग्नोस्टिक एवं सैंपल ट्रांसपोर्ट (FMR 31.1) हैड के बजट का प्रयोग किया जायेग।

कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
2.9.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1795 (1)/पांच–5/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कुलपति, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. संबंधित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

02/09/2020